संख्या— 655 / 26—ब0प्र0—2010—2 / 3(30) / 2010

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
सम्बन्धित लघु सिंचाई प्रखण्ड।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण   लखनऊ :   दिनांक : 05 ~~जुलाई~~ फ़रवरी 2010

विषय— चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों के निर्माण की योजना में बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् मुख्य अभियंता, लघु सिचांई विभाग के पत्र संख्या—86 / ल0सिं0 / बजट—SCSP-TSP / 2010—11, दिनांक 09—4—2010 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—951 / दस—2010—231 / 2010, दिनांक 26—3—2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों के निर्माण की योजना (जिला योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0—2,00,00,000 / — (रूपया दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0—1,00,00,000 / — (रू—एक करोड़ मात्र) का आवंटन संलग्न विवरणानुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:—

(1) प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2010—11 में एस0सी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी, जिसके अनुसार प्रत्येक चेकडैम के निर्माण के सिंचाई हेतु आच्छादित क्षेत्र का न्यूनतम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का होना चाहिए।

(2) उपर्युक्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप बी—1—951 / दस—2010—231 / 2010, दिनांक 26—3—2010 में विनिदिर्ष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों / प्राविधानों / शासनादेशों का अनुपालन अक्षरशः अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(3) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में एस0सी0एस0पी0 में जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैम के निर्माण योजना पर व्यय हेतु है। अवमुक्त

धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(4) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(5) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें। अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र सम्बन्धित खण्डीय अधिशासी अभियंता को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराने का प्रबन्ध करें।

(6) इस योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्षेत्र विशेष का चिन्हांकन करते हुए प्रोजेक्ट के रूप में परियोजना प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित/पुष्टि किया जायेगा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र विशेष में अन्य विभागों द्वारा ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग/चेकडैम निर्माण योजना संचालित नहीं है।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी।

(8) उपरोक्त धनराशि नरेगा से डबटेल करने के उपरान्त ही व्यय की जायेगी तथा कोई भी चेकडैम का निर्माण कार्य बिना नरेगा से डबटेल किये नहीं की जायेगी।

(9) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) यह स्वीकृतियां नियोजन विभाग से जिला योजना स्वीकृत होने के फलस्वरूप तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी। स्वीकृत जिला योजना के अनुक्रम में ही सी0सी0एल0 जारी करने एवं व्यय करने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(11) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1– मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2– प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	15–10–2010 तक

3– व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण 15–12–2010 तक

4– वर्ष 2010–11 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो 15–02–2011 तक

5– आवंटन का समर्पण 15–03–2011 तक

नोट :– दिनांक 15–03–2011 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(12)–तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–83 के अधीन "लेखा शीर्षक–4702–लघु सिंचाई पर पूर्जीगत परिव्यय–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–06–लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)–24–वृहत् निर्माण के कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या– 655 (1)/26–ब0प्र0–2010, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकादारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई विभाग।
4– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
7– सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी ।
8– सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग ।
9– सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
10– राज्य योजना आयोग अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
12–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
13–निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जमील अख्तर)।
14–गार्ड फाइल।
15– एन0आई0सी0 की प्रति।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।

शा०सं० 655/ 26-लघु सिं०-2010 दिनांक 05 अगस्त, 2010 का संलग्नक।

संख्या /ल0सिं0/बजट-scsp/tsp/10-11/दिनांक जुलाई, 2010का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06 लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राउन्ड वाटर चार्जिंग चेकडेमों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित अवमुक्त धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	इलाहाबाद	45.00	12.00	6.00
2	सुल्तानपुर	15.00	0.00	0.00
3	मिर्जापुर	15.00	0.00	0.00
4	सोनभद्र	50.00	14.00	7.00
5	झांसी	200.00	54.00	27.00
6	ललितपुर	375.00	100.00	50.00
7	हमीरपुर	15.00	0.00	0.00
8	महोबा	20.00	20.00	10.00
	योग-	**735.00**	**200.00**	**100.00**

(रूपया एक करोड़ मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव